पत्र सं0-विधि-4(2)/सा0पत्रा0/2024-25/ 200 /राज्य कर।

प्रेषक,

आयुक्त,
राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जोनल अपर आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(विधि अनुभाग) लखनऊ :: दिनांक :: 26 जून, 2024

विषय :- राज्य सरकार द्वारा दानवीर भामाशाह के जन्म दिवस दिनांक 29 जून को ''व्यापारी कल्याण दिवस'' के रुप में मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0-251/2024/1742/चार-2024, दिनांक 24-06-2024 के साथ संलग्न शासन के पत्र संख्या-3032/चार-2023, दिनांक 14-09-2023(छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से दानवीर भामाशाह के जन्म दिवस (29 जून) को राज्य सरकार द्वारा "व्यापारी कल्याण दिवस" के रुप में जनसहभागिता के साथ मनाए जाने से सम्बन्धित विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः शासन के उपरोक्त पत्रों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।
(ई-मेल के माध्यम से)

भवदीय,

(अमर नाथ यादव)
अपर आयुक्त (विधि) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 एवं दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
2- अपर आयुक्त (प्रशासन)/(लेखा), राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3- अपर निदेशक, राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ को उपरोक्त के सम्बन्ध में अनुपालनार्थ।
4- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को उक्त की प्रति विभागीय पोर्टल के नोटिस बोर्ड पर अपलोड किये जाने हेतु।

26.6.24

अपर आयुक्त (विधि) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

प्राथमिकता

संख्या- 251/2024/ 1742 /चार-2024

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
राज्य कर विभाग/पर्यटन विभाग/सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/एम.एस.एम.ई./खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग/समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ, दिनांक 24 जून, 2024

विषयः राज्य सरकार द्वारा दानवीर भामाशाह के जन्म दिवस दिनांक 29 जून को ''व्यापारी कल्याण दिवस'' के रूप में मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के पत्र संख्या-3032/ चार-2023, दिनांक 14 सितम्बर, 2023 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा दानवीर भामाशाह के जन्मदिवस 29 जून को राज्य सरकार द्वारा ''व्यापारी कल्याण दिवस'' के रूप में जनसहभागिता के साथ मनाये जाने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त राज्य स्तरीय आयोजनों हेतु संस्कृति विभाग, उ0प्र0 को नोडल विभाग तथा राज्य कर विभाग को आयोजनकर्ता विभाग नामित किया गया है।

2. जनपद/तहसील स्तरीय आयोजन हेतु जिलाधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी **'व्यापारी कल्याण दिवस'** के आयोजन हेतु अपनी अध्यक्षता में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए आयोजन कराया जायेगा।

3. अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में दानवीर भामाशाह के जन्मदिवस को **'व्यापारी कल्याण दिवस'** के रूप में दिनांक 29 जून, 2024 को निम्नानुसार आयोजन कराया जाना सुनिश्चित करें:-

(1) प्रत्येक जनपद में 'व्यापारी कल्याण दिवस' की सार्थकता के दृष्टिगत राज्य कर विभाग/ एम0एस0एम0ई0/नगरीय विकास विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/ औद्योगिक विकास विभाग अपने उद्यमियों, व्यवसायियों व स्वयं सहायता समूहों द्वारा इस अवसर पर ओ0डी0ओ0पी0 के स्टाल लगाते हुए उत्पादों के प्रचार-प्रसार एवं विक्रय का कार्य किया जाये तथा प्रदर्शनियां भी लगाई जाएं।

(2) औद्योगिक विकास विभाग द्वारा प्रदेश में पूंजी निवेश करने वाले उद्यमियों का चयन कर उनका सम्मान करे तथा इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन भी किया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(3) प्रत्येक जनपद में 'महान दानवीर भामाशाह' की जीवन यात्रा से सम्बन्धित अभिलेखों की प्रदर्शनी का आयोजन सभी कार्यक्रम स्थलों पर किया जाये, इस हेतु अभिलेख की साफ्ट कापी संस्कृति विभाग, उ0प्र0 द्वारा मेल के माध्यम से समस्त जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्वरांजलि/संगीत/भामाशाह पर नृत्य नाटिका, नाटक के साथ स्थानीय कला संस्कृतिपूर्ण आयोजन कराये जायें।

(5) दानवीर भामाशाह पर चित्रकला, प्रश्नोत्तरी, निबंध आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन जनपद स्तर पर किया जाए तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को समारोह में सम्मानित किया जाए।

(6) शासनादेश संख्या-3032/ चार-2023, दिनांक 14 सितम्बर, 2023 के बिन्दु-7 के अनुपालन में ''भामाशाह पुरस्कार'' दिये जाने सम्बन्धी चयन एवं कार्यवाही राज्य कर विभाग द्वारा की जाये।

(7) उक्त आयोजन सम्बन्धित जनपद के व्यापारी कल्याण मण्डल व्यापारिक संगठनों तथा अन्य व्यापार मण्डल/संगठनों के सहयोग से किया जाए ताकि महान भामाशाह की कल्याण भावना को अधिक से अधिक जन सामान्य व युवाओं के बीच प्रसारित किया जा सके।

(8) 'व्यापारी कल्याण दिवस' के अवसर पर प्रत्येक जनपद में व्यापारी अपने प्रतिष्ठान/फर्म/कम्पनी पर 'व्यापारी कल्याण दिवस' मनाये तथा व्यापारी कल्याण दिवस के होर्डिंग्स, बैनर आदि संस्कृति विभाग, उ0प्र0 की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्रदर्शित करें तथा अपने प्रतिष्ठान के बाहर यथासम्भव मिष्ठान, शर्बत, फल आदि का वितरण कर सकते हैं। जनपद में जिलाधिकारी संदर्भित कार्य हेतु आवश्यक निर्देश जारी करें। आयोजन की फोटोग्राफी कराते हुए संस्कृति विभाग के पोर्टल http://culturalevents.in पर अपलोड करने पर प्रमाण पत्र डाउनलोड किया जा सकता है।

(9) उक्त कार्यक्रम हेतु संस्कृति विभाग, उ0प्र0 द्वारा स्थानीय कलाकार उपलब्ध कराये जायेंगे। शेष अन्य व्यवस्थायें जिलाधिकारियों द्वारा व्यापारियों एवं उनके संगठनों के सहयोग से किया जायेगा।

(10) प्रश्नगत कार्यक्रम में समन्वय हेतु श्री राजेश अहिरवार, सहायक निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, जवाहर भवन लखनऊ (मो0नं0-8839923506) से सम्पर्क किया जा सकता है।

4. अस्तु 'व्यापारी कल्याण दिवस' के अवसर पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराते हुए आयोजन से सम्बन्धित छायाचित्र, वीडियो आदि अपलोड कराते हुए उसकी एक प्रति निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, नवम् तल, जवाहर भवन, लखनऊ को प्रेषित करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक: उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)

मुख्य सचिव

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 251/2024/ 1742(1) /चार-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन/नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
5. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. आयुक्त, ग्राम्य विकास/समाज कल्याण/श्रम/आवास।
7. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग/निदेशक, पर्यटन।
8. पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
9. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. नगर आयुक्त, लखनऊ।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
12. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
13. गोपन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 3032 /चार-2023

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव,
राज्य कर विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।

2. निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0

जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ : दिनांक 14 सितम्बर, 2023

विषय- राज्य सरकार द्वारा दानवीर भामाशाह के जन्म दिवस दिनांक 29 जून को ''व्यापारी कल्याण दिवस'' के रूप में मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि दानवीर भामाशाह का जन्म राजस्थान के मेवाड़ राज्य में वर्तमान पाली जिले के सादड़ी गांव में 29 जून, 1547 को ओसवाल जैन परिवार में हुआ था। वह एक योद्धा, प्रसिद्ध सेनापति और महाराणा प्रताप के करीबी थे। भामाशाह का निष्ठापूर्ण सहयोग महाराणा प्रताप के जीवन में महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित हुआ। मातृ-भूमि की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप का सर्वस्व होम हो जाने के बाद भी उनके लक्ष्य को सर्वोपरि मानते हुए भामाशाह ने अपनी सम्पूर्ण धन-सम्पदा अर्पित कर दी, जिससे महाराणा प्रताप ने पुनः सैन्य शक्ति संगठित करके मुगल शासकों को पराजित किया और फिर से मेवाड़ का राज्य प्राप्त किया।

2. अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त दानवीर भामाशाह के

जन्मदिवस 29 जून को राज्य सरकार द्वारा ''व्यापारी कल्याण दिवस'' के रूप में जन सहभागिता के साथ निम्नवत मनाये जाने का निर्णय लिया गया है:

1. दानवीर भामाशाह के जन्मदिवस 29 जून को प्रत्येक वर्ष ''व्यापारी कल्याण दिवस'' के रूप में मनाये जाने के लिए राज्य स्तरीय ,जिलास्तरीय एवं तहसील स्तरीय आयोजन किये जायेंगे | राज्य स्तरीय आयोजन हेतु संस्कृति विभाग नोडल विभाग एवं राज्य कर विभाग आयोजककर्ता विभाग होगा | राज्य कर विभाग द्वारा अपने विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों (मण्डल/ जनपद आदि) में समारोहपूर्वक व्यापारी कल्याण दिवस मनाया जायेगा। समस्त जिलो से सम्बंधित जिलाधिकारी नोडल अधिकारी होंगे |
2. व्यापारी कल्याण दिवस की सार्थकता के दृष्टिगत राज्य कर विभाग/ एम० एस०एम०ई० /नगरीय विकास विभाग /ग्राम्य विकास विभाग /औद्योगिक विकास विभाग अपने उद्यमियों ,व्यवसायियों व स्वयं सहायता समूहों द्वारा इस अवसर पर ओ 0 डी0 ओ 0 पी0 के स्टाल लगाते हुए उत्पादों के प्रचार-प्रसार एवं विक्रय का कार्य किया जाये तथा **प्रदर्शनियां भी लगवाएं**|।
3. औद्योगिक विकास विभाग द्वारा प्रदेश में पूंजी निवेश करने वाले उद्यमियों का चयन करते हुए उनका सम्मान किया जाये। प्रत्येक जनपद में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन भी किया जाये।
4. सूचना विभाग द्वारा, राज्य सरकार की व्यापारियों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं तथा कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी तैयार करते हुए कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शित की जाये ताकि इससे सरकारी योजनाओं का लाभ समस्त व्यापारी जन तक आसानी से पहुँच सके।
5. नगर विकास विभाग इस संबंध में संचालित अपनी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए अलग से स्टाल लगायेंगे ।
6. इस अवसर पर संस्कृति विभाग द्वारा राज्य कर विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए दानवीर भामाशाह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व संबंधी प्रदर्शनी लगाने/ व्यापारियों के कल्याण से जुडी हुई योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने एवं आवश्यक संगीत तथा सांस्कृतिक आयोजन आदि भी कराये जायेंगे।

   महान दानवीर भामाशाह की जीवन - यात्रा से सम्बन्धित अभिलेखों की प्रदर्शनी का आयोजन सभी कार्यक्रम स्थलों पर किया जाये, इस हेतु अभिलेखों की साफ्ट कापी मेल के माध्यम से समस्त जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायी जाये तथा सूचना विभाग की प्रदर्शनी के साथ सूचना विभाग द्वारा इसे भी प्रदर्शित किया जाये।
7. ''व्यापारी कल्याण दिवस'' के अवसर पर लखनऊ में बृहद आयोजन के अन्तर्गत उद्घाटन एवं समापन के अवसर पर पुरस्कारों एवं सम्मानों की योजना सबसे ज्यादा 'कर' देने वाले व्यापारी को 'भामाशाह पुरस्कार' दिया जायेगा। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के उन महानुभावों को चिन्हित किया

जाये, जिन्होंने प्रदेश में निवेश एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये हैं, ऐसे महानुभावों को कार्यक्रम स्थल पर आमंत्रित कर सम्मानित किया जाये।मुख्य आयोजन का सूचना विभाग के माध्यम से समस्त जिलों में लाइव प्रसारण कराया जायेगा ।

8. लखनऊ के राज्य स्तरीय आयोजनों हेतु पर्यटन विभाग द्वारा रू0 30.00 लाख, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा रू0 30.00 लाख, एम०एस०एम०ई० विभाग द्वारा रू0 20.00 लाख, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा रू0 20.00 लाख समाज कल्याण विभाग द्वारा रू0 20.00 लाख एवं संस्कृति विभाग द्वारा रू0 50.00 लाख की सहयोग राशि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ के खाता संख्या- 58660201000011, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शुगर कार्पोरेशन ब्रांच, लखनऊ आई०एफ०एस०सी० कोड - UBIN0558664 में जमा करायी जायेगी। इस धनराशि से नोडल के रूप में संस्कृति विभाग द्वारा सांस्कृतिक आयोजन, प्रदर्शनियाँ अन्य विविध गतिविधियां वित्तीय नियमों एवं प्रक्रियाओं के अन्तर्गत सुनिश्चित की जायेगी।

9. ''व्यापारी कल्याण दिवस''का आयोजन कराये जाने हेतु जिलाधिकारी अपनी अध्यक्षता में शीघ्र ही प्रदेश सरकार की विकास व कल्याणकारी योजनाओं से सम्बन्धित सभी विभागों के सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उक्त आयोजन, प्रदर्शनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु व्यापक तैयारी करा लें।

10. ''व्यापारी कल्याण दिवस''के अन्तर्गत आयोजित समस्त कार्यक्रमों का विवरण एवं फोटोग्राफ्स संस्कृति विभाग के पोर्टल https://culturalevents.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये। कृपया उपरोक्तानुसार उत्तर प्रदेश में ''व्यापारी कल्याण दिवस'के सफल आयोजन हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करे |

भवदीय,

Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 14-09-2023 20:55:03
Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)

मुख्य सचिव

संख्या-3032 (1)/चार-2023 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग/खादी एवं ग्रामोद्योग/सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग/नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
5. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त सम्बंधित विभाग।
7. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
8. आयुक्त, ग्राम्य विकास/समाज कल्याण/श्रम/आवास ।
9. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग/ निदेशक पर्यटन ।
10. पुलिस आयुक्त, लखनऊ
11. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश ।
12. नगर आयुक्त, लखनऊ।
13. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
14. गोपन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

14/09/23.

(मुकेश कुमार मेश्राम)

प्रमुख सचिव